उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-8/1951/तीस-4-13-20(5)/2004 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक:17 दिसम्बर, 2013

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 9 में समय समय पर यथा संशोधित प्राविधानों के क्रियान्वयन की दृष्टि से, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसे आगे "राज्य" कहा गया है, द्वारा राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत मोटरयानों के कर को ऑनलाइन जमा करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है।

और, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत मोटरयानों के कर को ऑन लाइन जमा करने हेतु अवस्थापना स्थापित कर ली है;

अतएव, अब उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 9 के उप नियम (1) के उपबन्धों, जैसा कि अधिसूचना संख्या-1572/30-4-10-167/91टीसी दिनांक 05 अगस्त, 2010 द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुसरण में परिवहन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-5/1417/तीस-4-13-(5)/2004टी0सी0 दिनांक 21 नवम्बर, 2013 द्वारा राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत मोटरयानों के कर को ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया सर्वप्रथम दो जनपदों लखनऊ एवं गाजियाबाद के परिवहन कार्यालयों में दिनांक 22 नवम्बर, 2013 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गयी थी, के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् उ0प्र0 सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, कि कर को ऑन लाइन जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 18.12.2013 से प्रदेश के समस्त जनपदों के परिवहन कार्यालयों में लागू होगी।

आज्ञा से,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/1951(1)/30-4-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया, इस अधिसूचना को दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-8/1951(2)/30-4-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली
5- प्रेसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://sfsamadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

No. 8/ 1951/ XXX-4-2013-20(5)/2004TC,
Lucknow: Dated December 17, 2013

NOTIFICATION

WHEREAS with a view to implement the provisions of rule 9 of Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Rules, 1998 as amended from time to time, the Transport Department, Government of Utter Pradesh has entered in to MOU with State Bank of India for on line collection of taxes of Motor Vehicles Registered within the State of Uttar Pradesh, herein after referred as "State".

And, WHEREAS the Government of Uttar Pradesh has established the infrastructure for online collection of taxes of motor vehicles registered within the State with the collaboration of National Informatics Centre and State Bank of India;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of sub rule (1) of Rule 9 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Rules, 1998, as amended vide notification no. 1572/30-4-10-167/91T.C. dated August 5, 2010, the process of online collection of taxes of motor vehicles registered within the state, was implemented as a pilot project in the transport offices of two districts-Lucknow and Ghaziabad dated, November 22, 2013, after its success the Government of Uttar Pradesh hereby specifies that the process of online collection of taxes will be implemented in the transport offices of all the districts of the state w.e.f 18.12.2013

By Order,

(B.S. Bhullar)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in